0/6 – 91

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION
श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय, भारत सरकार
MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT, GOVERNMENT OF INDIA
मुख्य कार्यालय / Head Office
भविष्य निधि भवन, 14, भीकाएजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066
Bhavishya Nidhi Bhawan, 14, Bhikaiji Cama Place, New Delhi-110066
Website: www.epfindia.gov.in, www.epfindia.nic.in

सं: डब्ल्यूएसयू/सदस्यप्रोफाइलपीटी1/ई-965649/2025-26/22 दिनांक: 30/जुलाई/2025

सेवा में,

सभी अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (मुख्यालय)/अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त(अंचल)
सभी क्षेत्रीय भ.नि. आयुक्त-1/क्षेत्रीय भ.नि. आयुक्त-II/स.भ.नि.आ. प्रभारी अधिकारी

विषय: फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके उमंग ऐप के माध्यम से यूएएन का अनिवार्य आबंटन और उसे सक्रिय करना - संबंधी।

महोदया/महोदय,

कृपया दिनांक 08 अप्रैल 2025 का परिपत्र संख्या डब्ल्यूएसयू/सदस्यप्रोफाइल/ई-710137/2025-26/17 देखें, जिसके माध्यम से उमंग ऐप में आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी (एफएटी) का लाभ उठाते हुए यूएएन के आबंटन/सृजन और उसे सक्रिय करने की एक सरल और मजबूत प्रक्रिया शुरू की गई थी।

इस संबंध में, यूएएन के त्रुटि-रहित निर्माण को सुनिश्चित करने के लिए, यह निर्णय लिया गया है कि 1 अगस्त, 2025 से यूएएन का आबंटन/सृजन केवल उमंग ऐप में आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी (एफएटी) के माध्यम से किया जाएगा। हालाँकि, अंतर्राष्ट्रीय कामगारों और नेपाल व भूटान के नागरिकों जैसे असाधारण मामलों के संबंध में नियोक्ता के माध्यम से यूएएन के निर्माण की मौजूदा प्रक्रिया जारी रहेगी। एफएटी का उपयोग करके उमंग ऐप के माध्यम से यूएएन के आबंटन और उसे सक्रिय करना के लिए विस्तृत उपयोगकर्ता मैनुअल पहले ही दिनांक 08 अप्रैल 2025 के परिपत्र के साथ संलग्न किया जा चुका है।

(केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त के अनुमोदन से जारी)

जी. आर. सुचिन्द्रनाथ
अपर.के.आ. (डब्ल्यूएसयू)